

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी

अलीगढ़।

पत्रांक:स-160/सीएफओ/अलीगढ़-2017/033

दिनांक: 02, 2017

सेवा में,

✓ प्रबन्धक/स्वामी,
प्रकाश पब्लिक स्कूल,
ग्राम काण्डली, इगलास,
जनपद अलीगढ़।

विषय- प्रकाश पब्लिक स्कूल, खसरा नं०-362, 487 एवं खेत नं०-169, 152 ग्राम काण्डली, इगलास, जनपद अलीगढ़ पर निर्मित/प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आवेदक के पत्र यूआईडी नम्बर-2017/32683/एएलएच/अलीगढ़/793/सीएफओ दिनांक:22.07.2017.

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम उक्त निर्मित/प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त के परिपेक्ष्य में प्रश्नगत भवन का स्थलीय/प्रस्तुत मानचित्रों एवं अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, बन्नादेवी अलीगढ़ श्री संजय कुमार जायसवाल से कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक:28-07-2017 का परिशीलन अधोहस्ताक्षरी द्वारा सुसंगत मानकों के अनुसार किया गया जिसका विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना-

कुल भूखण्ड एरिया-10003.00 वर्गमीटर।

1- निर्मित भूतल कवर्ड एरिया-1732.86 वर्गमीटर।

2- प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया-1660.13 वर्गमीटर।

3- प्रस्तावित द्वितीय तल कवर्ड एरिया-1660.13 वर्गमीटर।

4- भवन की ऊँचाई-10.95 मीटर।

5- भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी-प्रश्नगत भवन का अधिभोग एन0बी0सी0 की शैक्षणिक बी-1 श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाचांगत व्यवस्था

1-पहुँच मार्ग-भूखण्ड के सामने मानचित्र में 09 मीटर रोड की चौड़ाई है (ग्रामीण क्षेत्र), जो मानक के अनुरूप है।

2-प्रवेश द्वार की चौड़ाई 04.50 मीटर जो मानक के अनुरूप है।

3-सैटबैक-प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए-अग्रभाग-40.00 मीटर।

बी-पृष्ठ भाग-53.00 मीटर।

सी-पार्श्व भाग प्रथम-08.00 मीटर।

डी-पार्श्व भाग द्वितीय- 06.00 मीटर।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोधक मुक्त रखे जायेगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4-निकास मार्ग-निर्मित भूतल पर निकास द्वार उपलब्ध है तथा प्रस्तावित भवन में 02 स्टेयर जिसकी चौड़ाई 1.50 मीटर का प्राविधान किया गया है जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमान्य सीमा के अन्तर्गत है।

अग्नि सुरक्षा व्यवस्था-नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएं पूर्ण की जानी अनिवार्य है।

1- प्राथमिक अग्निशमन उपकरण(फायर एक्सटिंग्यूशर):-निर्मित भूतल पर फायर एक्सटिंग्यूशर उपलब्ध है

कमश:02 पर

2/8

तथा प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर भवन निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0-2190 के अनुसार स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।

2- होजरील-प्रश्नगत भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई0एस0-3844 के मानकों के अनुसार प्राविधानित है।

3- टेरिस टैंक-प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10000 ली0 क्षमता आई0एस0-9698:1990 के मानक के अनुसार प्राविधानित है।

4- टेरिस पम्प-प्रश्नगत भवन के टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल0पी0एम0 आई0एस0-9698:1990 के मानक के अनुसार प्राविधानित है।

5- एग्जिट साईनेज-सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज प्राविधानित है।

6- पी0ए0सिस्टम-पी0ए0सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रकाश पब्लिक स्कूल, खसरा नं0-362, 487 एवं खेत नं0-169, 152 ग्राम काण्डली, इगलास, जनपद अलीगढ पर निर्मित/प्रस्तावित शैक्षणिक भवन के निर्माण हेतु प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्था मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर पूर्णता (अन्तिम) अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा भवन निर्माण हेतु निर्गत किया गया प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक-अनुमोदित मानचित्र

(विवेक कुमार शर्मा)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अलीगढ़

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर लिंक-आगरा/अलीगढ़ परिक्षेत्र।
- 2- जिला विद्यालय निरीक्षक, अलीगढ़।
- 3- अग्निशमन अधिकारी, बन्नादेवी, अलीगढ़।